


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्रीमती मनफूली बनाम राजस्थान सरकार 151/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00141)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26 ² / ₂₀	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई गई, प्रार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। प्रकरण में पुनः रूक रूककर कई बार आवाजे दिलवाई गई किन्तु प्रार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं आया। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि प्रकरण वर्ष 2018 से रेस्पोंडेंट की तलबी में विचाराधीन चल रहा है तथा अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश भी नहीं किये गये और न्यायालय के समक्ष उपस्थित भी नहीं है एवं प्रार्थी की ओर से अन्य कोई भी न्यायालय में उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाजदायरी को अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (के०सी०वर्मा) संभाषीय आयुक्ता जयपुर </p>	